सं.ई-11011/27/2021/हिन्दी(रा.भा.का.स.)/ 171

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

901(द.), सेवा भवन

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

दिनांक: 06 अप्रैल, 2023

विषय: निदेशालयों/अनुभागों द्वारा अक्सर प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों का हिंदी अनुवाद।

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 31.03.2023 को हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि आयोग में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति को गति देने के लिए केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के सभी अनुभागों व निदेशालयों द्वारा अक्सर प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों या अग्रेषण पत्रों आदि को हिंदी में अनुवाद कर रखा जाए ताकि समय पड़ने पर इनका तुरंत प्रयोग किया जा सके।

तदनुसार, तीनों समन्वय निदेशालयों तथा मानव संसाधन प्रबंध स्कंध के अंतर्गत आने वाले सभी अनुभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रकार के पत्रादि का एक फोल्डर तैयार करें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या आने की स्थिति में हिंदी अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है।

6/4/2023

(रजिन्दर पाल)

उप निदेशक (रा.भा.)

केंद्रीय जल आयोग के सभी अधिकारी/कर्मचारी।

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), के.ज.आ. के अधीन आने वाले सभी अनुभाग।
2. निदेशक (अभिकल्प एवं अनुसंधान सम.निदे.), निदेशक (जल आयोजन एवं परियोजना सम.निदे.) एवं निदेशक (नदी प्रबंध सम.निदे.), के.ज.आ.।
3. निदेशक (स्थापना-1, स्थापना-2 एवं स्थापना-3, प्रशा.), के.ज.आ.।
4. अध्यक्ष, के.ज.आ. के प्रधान निजी सचिव।